न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—93/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/93)

1. जुबैदा पत्नि श्री कयामुद्दीन पुत्री श्री घीसा वल्द ईसाक जाति मुसलमान आयु 77 वर्ष लगभग निवासी बुधवाडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम गोविन्दगढ तहसील पीसांगन जिला अजमेर राजस्थान। पिन नम्बर 305201
2. जरीना पत्नि श्री मुईनुद्दीन पुत्री श्री घीसा वल्द ईसाक जाति मुसलमान आयु 55 वर्ष लगभग निवासी बुधवाडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवासी छोटी मस्जिद ग्राम गोविन्दगढ तहसील पीसांगन जिला अजमेर राजस्था। पिन नम्ब 305201
3. बानु पत्नि श्री अहसान अली पुत्री श्री घीसा वल्द ईसाक जाति मुसलमान आयु 52 वर्ष लगभग निवासी बुधवाडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवासी व्यापारीयों का मौहल्ला ग्राम भकरी मोलास तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्था। पिन नम्बर 341512
4. मदीना बानों पत्नि श्री कुरसिद पुत्री श्री घीसा वल्द ईसाक जाति मुसलमान आयु 40 वर्ष लगभग निवासी बुधवाडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवासी वार्ड नम्बर 08 व्यापारीयों का मौहल्ला ग्राम भकरी मोलास तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान। पिन नम्बर 341512.

अपीलांट्स

बनाम

1. घीसा वल्द ईसाक जाति मुसलमान आयु 83 वर्ष लगभग निवासी ग्राम बुधवाडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर राजस्थान। **(फौत)**
2. मौहम्मद कालू पुत्र श्री घीसा वल्द ईसाक जाति मुसलमान आयु 42 वर्ष लगभग निवासी ग्राम बुधवाडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर राजस्थान।
3. मुश्ताक पुत्र श्री घीसा वल्द ईसाक जाति मुसलमान आयु 53 वर्ष लगभग निवासी ग्राम बुधवाडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर राजस्थान।
4. वसीम पुत्र मौहम्मद कालु जाति मुसलमान आयु 22 वर्ष लगभग निवासी ग्राम बुधवाडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर राजस्था।
5. मदीना बानू पत्नि श्री मौहम्मद कालु जाति मुसलमान आयु 41 वर्ष लगभग निवासी ग्राम बुधवाडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर राजस्थान।
6. मौहम्मद ईलियास पुत्र अशफाक अहमद जाति मुसलमान कुरैशी आयु 30 वर्ष लगभग निवासी ग्राम बुधवाडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर राजस्थान।
8. उप—पंजीयक, पीसांगन जिला अजमेर राजस्थान।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 13.01.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन राजस्व वाद संख्या 133/2021

उपस्थितः—

1. श्री मौहम्मद अयूब अभिभाषक अपीलांट

2. श्री सरफुद्दीन अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 3
3. श्री महेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4
4. श्री एन0एस0राजावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2, 4 से 6
5. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8

निर्णय

दिनांकः—29.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 133/2021 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयागण/अपीलार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद पत्र अंतर्गत धार 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 12.11.2021 को पेश किया साथ ही एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 12.11.2021 को पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए प्रार्थीयागण के प्रार्थना पत्र को दिनांक 13.01.2023 को खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 133/2021 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि प्रार्थीयागण/अपीलार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 12/11/2021 को पेश किया था, साथ ही एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 12/11/2021 को पेश किया था। जिसमे न्यायालय ने दिनाक 12/11/2021 आदेश अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को पारित कि गई थी। जो कि ग्राम बुधवाडा तहसील पींसागन जिला अजमेर के खाता संख्या नया 219 व पुराना 178 नया 130 व पुराना 101, नया 616 व पुराना 529, नया 895 व पुराना 219, नया 222 व पुराना 181, नया 59 व पुराना 48 प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण एवं अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण/रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से लगायत 5 की पैतृक खातेदारी की कृषि आराजी है। भारतीय उत्ताराधिकार अधिनियम में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत विधिक वारीसान् होकर उक्त आराजी मे प्रार्थीयागण/अपीलार्थीगण के हक व अधिकार निहित है परन्तु विधिक प्रार्थीयागणों का उनके ससुराल में निवास करने से उनके पिता व भाई अप्रार्थीगण संख्या 02 द्वारा अपने पिता को बहला फुसलाकर प्रार्थीयागण के हक व अधिकार की भूमि को हडपने की नियत से पैतृक भूमि का मुख्तियारनामा आम बनाकर उक्त आराजी मे भूमि में से कुछ भूमि अप्रार्थी संख्या 06 को बैचान व कुछ आराजी भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 गैर कानूनी रूप से प्रार्थीयागण को हक हिस्सा दिये बगैर अप्रार्थी संख्या 04 से 06 को बैचान करने तथा शेष बची आराजी को अन्यत्र वैधान कर प्रार्थीयागण को उनके हक हिस्से

की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। अतः इन्हे पाबन्द फरमायें। उक्त आदेश दिनांक 12/11/2021 के तहत उक्त अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में जवाब पेश होने तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बुधवाडा तहसील पींसागन जिला अजमेर के खाता संख्या नया 219 व पुराना 178 नया 130 व पुराना 101. नया 616 व पुराना 529, नया 895 व पुराना 219, नया 222 व पुराना 181. नया 59 व पुराना 48 की आराजी की मौके व राजस्व की यथास्थिति बनायें रखे। प्रार्थीयागण अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. के नोटिस मय स्थगन आदेश के तामिल करायें। उसके पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 03/12/2021 की दी गई थी। उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 133/2021 में दिनांक 12/11/2021 को स्थगन आदेश पारित हुआ था। उसके पश्चात् लगातार पेशीया हुई उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 133/2021 में उक्त आलौच्य आदेश दिनाक 13/01/2023 को पारित किया गया था। जो कि निम्न प्रकार से है दिनांक 13/01/2023 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीयागण अनुपस्थित उनके अधिवक्त ने निवेदन किया कि पैरवी हेतु कोई इस्ट्रक्शन नहीं है अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 की ओर से एड. 'श्री सरफुद्दीन ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थना पत्र पर जवाब पेश करने तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था। पत्रावली पर दिनांक 01/12/2021 को ही जवाब पेश है। माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के निर्देशानुसार उभयपक्ष से प्रार्थना पत्र निर्णित किया को सुनकर विधि अनुसार एक माह में आवश्यक रूप से किया जायें। अप्रार्थीगण अभिभाषक ने निवेदन किया की प्रकरण में जवाब पूर्व में ही पेश हो चुका है एवं प्रार्थीगण इस पर बहस ना करके प्रार्थना पत्र को आगामी पेशियों पर टाल रहे है। अतः माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय अजमेर के निर्देशानुसार प्रार्थना पत्र खारिज फरमायें। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। मूल वाद के साथ संलग्न हो। उक्त आदेश पारित किये गये जिसकी अपील कि जा रही है। कोई अधिवक्ता प्रार्थीयागण पैरवी हेतु कोई इस्ट्रक्शन नही हैं कहता है तो नियमानुसार उक्त प्रार्थीयागण को नोटिस जारी होने चाहिए थे जबकि मूल राजस्व वाद पत्र में न्यायालय द्वारा सम्मन/नोटिस कोर्ट से जारी किये गये। तब उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर प्रार्थीयागण को सम्मन/नोटिस जारी किये बगैर ही बिना सुने उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है ओर विधि विरूद्ध हैं. साथ ही माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक की अवेहलना की श्रेणी में आता हैं क्योंकि स्वयं माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर ने दोनों पक्षों को सुनकर एक माह में उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का आदेश पारित किया था। इसलिए उपखण्ड अधिकारी महोदय पींसागन ने बिना सुने ही उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया ओर सारहीन होने से खारिज किया जाता है के आदेश पारित किये गये हैं। जों कि विधि विरूद्ध होने से उक्त अपीलार्थीगण/प्रार्थीयागण की अपील कों स्वीकार फरमाकर उक्त अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पींसागन के आदेश दिनांक 13/01/2023 को अपास्त किये जाने योग्य है। राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रार्थीयागण ने निम्न निवेदन किया था। जों कि निम्न प्रकार से :– है

प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 05 की पैतृक खातेदारी आराजी जों कि ग्राम बुधवाडा तहसील पींसागन जिला अजमेर में प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के अधिकार में संयुक्त रूप से निरन्तर चली आ रही है। यह कि प्रार्थीयागण अप्रार्थीगण संख्या 01 की पुत्रीयां एवं 02 व 03 की बहने व अप्रार्थी संख्या 04 की भुआ व अप्रार्थी संख्या 05 की ननदे है। उक्त खसरा संख्या में प्रत्येक प्रार्थीयागण का उनके पिता घीसा के हिस्से में से हिस्सा आता है। उपरोक्त वर्णिता अनुसार आराजी भूमि प्रार्थीयागण के पैतृक हक व अधिकार व आधिपत्य की भूमियां रही है। जिनमें प्रार्थीयागण का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत विधिक वारिसान् होकर आराजी आधिपत्य प्रार्थीयागण के निहित करते हैं परन्तु मुतनाजा में सम्पूर्ण हक अधिकार व प्रार्थीयागण के पिता व भाई अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थीयागण का उनके ससुराल में निवास करने का अविधिक रूप से लाभ प्राप्त करते हुए अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा अपने पिता को बहला फुसला प्रार्थीयागण के हक व अधिकार की भूमि को हडपने की नियत से पैतृक भूमि का एक मुख्तयारनामा आम (विक्रय अधिकर सहित) बनवा कर उक्त आराजी भूमि में से कुछ भूमि अप्रार्थी संख्या 06 को बैचान व कुछ आराजी भूमि अपनी पत्नि व पुत्र अप्रार्थी संख्या 05 व 06 के नाम बैचान करवा ली जो कि प्रार्थीयागण के हक अधिकार तक शून्य एवं अविधिक हैं अतः पैतृक आराजी भूमि को प्रार्थी संख्या 01 व 02 गैर कानूनी रूप से प्रार्थीयागण को हिस्सा दिए 06 को बैचान करने तथा शेष बची आराजी भूमि को मुख्तयारनामा आम से अन्यत्र बैचान करने पर आमादा होने से प्रार्थीयागण के नाम भी खातेदारी अंकित किये जाने की घोषणातमक आज्ञप्ति हेतु यह वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीयागण अपने पिता घीसा वल्द ईसाक की जायदा पुत्रीयां है तथा प्रार्थीयागण का अपनें पिता की उक्त वादगस्त आराजीयात् में से हिस्सा प्राप्त करने के हक व अधिकार निहित है। जिसकी खातेदारी हकों की उदघोषण हेतु उक्त वादपत्र न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत है। उक्त प्रकरण से प्रार्थीयागण का सर्वप्रथम वाद कारण दिनांक 05/11/2021 को हुआ जब प्रार्थीयागण अपने पिता के घर आयी तो अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने उनसे लडाई झगडा कर उन्हें घर से चले जाने को कहा और कहा की खेत की जमीन पूरी हमारी है। तुम्हारा यहाँ कोई हिस्सा नहीं हमने आधी से ज्यादा जमीन को बेच दिया है तथा शेष बची जमीन भी जलदी ही बैच देगें तब प्रार्थीयागण द्वारा पटवारी हल्का के पटवारी से उनके पिता की आराजी की नकल प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ की अप्रार्थीगण ने उनके हक व अधिकार की भूमि को अप्रार्थी संख्या 04 से 06 को गैर कानूनी रूप से वैचान कर दी एवं वादीयागण/प्रार्थीयागण को ज्ञात हुआ की अप्रार्थीगण गैर कानूनी रूप सम्पूर्ण भूमि को हडपना चाहते है। जबकि प्रार्थीयागण ने अप्रार्थीगण को ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्तिगण ने लडाई व झगडा कर प्रार्थीयागण को घर से निकाल दिया ओर प्रार्थीयागण/वादीयागण को डराते धमकाते हुए आराजी भूमि को सम्पूर्ण को ही अपना बताते हुए वहाँ से लडाई व झगडा कर बेदखल करने पर आमादा हो गये एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 द्वारा किसी भी हालत में उक्त आराजी भूमि को सम्पूर्ण को ही बैचान करने की धमकी दी तत्पश्चात् प्रार्थीयागण द्वारा आराजी भूमि से सम्बन्धित राजस्व रिकोर्ड की प्रतियों प्राप्त किए जाने पर उत्पन्न हुआ इस प्रकार प्रार्थीयागण को वाद पत्र कारण उत्पन्न होकर नियमित

एवं निरन्तर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न एवं प्रोदभुत हो रहा है। इत्यादि कथन किये गये है। प्रार्थीयागण की पैतृक हक व अधिकार व आधिपत्य की होकर संवैधानिक हक अधिकार व अधिपत्य निहित करते हैं से प्रथम दृष्टया मामला/प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति व प्राकृतिक न्याय, एवं नैसर्गिक न्याय का सिद्वान्त, कानून न्याय व समानता प्रार्थीयागण/अपीलार्थीगण के पक्ष में निहित करतें है। इत्यादि कथनो का वर्णन उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र में किया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 133/2021 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विवादित भूमियाँ अप्रार्थी संख्या–01 श्री घीसा के तन्हा एवं संयुक्त खातेदारी की होना स्वीकार है, परन्तु अप्रार्थी संख्या–01 श्री घीसा के जीवनकाल को प्रार्थीगण को आराजी मुतनाजा में किसी प्रकार का काई विधिक हक, अधिकार एव आधिपत्य सृजित नहीं होता है, से प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण के अभाव में निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा जिस प्रकार एवं जिस उद्देश्य से उल्लेखित किये गये है, पूर्णतया विधिक प्रावधानों से वर्जित होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण स्वयं द्वारा प्रार्थना–पत्र के तहत स्वीकृत अभिवचनों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण की जाति "कुरैशी मुसलमान" होना स्वीकार किया गया है, जो कि जाति से मुसलमान होकर मुस्लिम विधि से संचालित होते हैं, जबकि प्रार्थीगण द्वारा मूलवाद एवं वर्तमान प्रार्थना–पत्र में वर्णित स्वीकृत अभिवचनों के अनुसार भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अनुतोष चाहा गया है, साथ ही मुख्तयारनामा आम की वैधता को भी प्रश्नगत किया गया है। जिसका क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय में निहित नहीं करता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्ट्या विधि एवं क्षेत्राधिकार से वर्जित होकर निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रकरण के पक्षकारान स्वीकृत अभिवचनों के तहत जाति से मुसलमान होकर मुस्लिम विधि से संचालित होते है जिसके तहत मूल खातेदार, स्वामी काबिज–काश्तकार पिताजी के जीवित रहते हुए प्रार्थीगण के किसी भी प्रकार से हक अधिकार एवं आधिपत्य सृजित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र विधि एवं क्षेत्राधिकार से वर्जित होकर निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–06 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार एवं जिस उद्देश्य से उल्लेखित किये गये स्वयं प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र की द्वारा चरण संख्या–04 में वर्णित अभिवचनों के विरोधाभषी होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 04 से 06 के हक में निष्पादित एवं पंजीकृत विक्रय–पत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौति दी जाकर निरस्त करवाये बिना प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त किये जाने के अधिकारी नहीं होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–07 में वर्णित तथ्य प्रार्थीगण द्वारा जिस प्रकार एवं जिस उद्देश्य से उल्लेखित किये गये है, पूर्णतया असत्य, निराधार, कपाल कल्पित एवं विधिक प्रावधानों के विपरित होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का आराजी मुतनाजा में किसी प्रकार का भौतिक आधिपत्य एवं कब्जा काश्त ना तो विद्यमान रहा है तथा ना ही प्रकरण प्रस्तुती की तिथि को

था। अपितु अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के खातेदार, सद्भाविक क्रेतागण एवं काबिज काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदू प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान करते है, से आवश्यक तत्वों के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–08 में वर्णित तथ्य प्रार्थीगण द्वारा जिस आशय से उल्लेखित किये गये है, पूर्णतया असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण को प्रकरण प्रस्तुत किये जाने का नाता विधि के तहत अधिकार प्राप्त करता है तथा ना ही अप्रार्थी संख्या–01 के जीवित रहते हुए प्राप्त हो सकते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया वाद कारण के अभाव में ही निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–09 में वर्णित आवश्यक तत्व जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित आधारों, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–10 लगायत 12 विधिक प्रावधानों पर आधारित है, जिनका प्रतिउत्तर बरवक्त सुनवाई प्रार्थना–पत्र मौखिक रूप से निवेदन किये जायेंगें। प्रार्थना–पात्र के शेष अभिवचन अनुतोष है, जिसे प्रार्थीगण जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित आधारों, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों तथा विधिक प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त किये जाने के अधिकारी नहीं होकर प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 12.11.2021 को पेश किया गया तथा साथ में एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 12.11.2021 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में अभिभाषक प्रार्थीयागण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2021 को आदेश पारित किया कि *" अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में जवाब पेश होने तक जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जाता है कि ग्राम बुधवाडा तहसील पीसांगन के खाता संख्या नया 219 पुराना 178, नया 130 पुराना 101, नया 616 पुराना 529, नया 895 पुराना 219, नया 222 पुराना 181, नया 59 पुराना 48 की आराजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। "*

उक्त आदेश दिनांक 12.11.2021 से असंतुष्ट होकर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त निगरानी का निर्णय दिनांक 16.06.2022 को किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया कि *" अधीनस्थ न्यायालय उनके समक्ष लंबित स्थगन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3ए के*

प्रावधानों की पालना में इस आदेश की प्राप्ति से एक माह के भीतर उभयपक्ष को सुनकर विधि अनुसार आवश्यक रूप से करे।"

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स को जवाब पेश करने तक अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था परंतु पत्रावली पर दिनांक 01.12.2021 को ही जवाब पेश कर दिया गया था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशानुसार उभयपक्ष को सुनकर विधि अनुसार एक माह में आवश्यक रूप से प्रार्थना पत्र निर्णित किए जाने हेतु आदेश पारित किए गए थे।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट/प्रार्थीयागण को पैरवी हेतु कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है का कथन किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थीयागण को प्रकरण में नोटिस जारी किए जाने चाहिए थे जबकि मूल राजस्व वाद पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन/नोटिस कोर्ट से जारी किए गए थे। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 में अपीलांट/प्रार्थीयागण को सम्मन/नोटिस जारी किए बिना व प्रार्थीयागण/अपीलांट को न्यायहित में अवसर दिए बिना प्रार्थना पत्र को सारहीन होने से खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। जबकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र को 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन निर्देशों को ध्यान में नहीं रखते हुए प्रकरण को सारहीन होने से खारिज किए जाने के आदेश दिनांक 13.01.2023 को पारित किए गए जो कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक त्रुटि कारित हुई है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 133/2021 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2023 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान को सुनकर 30 दिवस में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.09.2025 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर